

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/रिफ्रे./जयपुर/2010/२४६

दिनांक: ०६ जून, 2013

निदेशक,
अकादमी स्टाफ कॉलेज,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय: दिनांक: 10.06.2013 से 29.06.2013 तक जेण्डर स्टेडीज विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स बाबत।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक: एएससी/2013/2010 दिनांक: 27.04.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा दिनांक: 10.06.2013 से 29.06.2013 तक जेण्डर स्टेडीज विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए निम्नलिखित व्याख्याताओं को और मनोनीत किया जाता है :-

| क्र.सं. | नाम व्याख्याता | विषय | महाविद्यालय का नाम |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | सीता गौड़ | हिन्दी | राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर |
| 2 | डी.पी. मीणा | हिन्दी | राजकीय महाविद्यालय, झुन्झुनू |
| 3 | ईला मिश्रा | हिन्दी | राजकीय एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर |
| 4 | उर्मिला शर्मा | हिन्दी | राजकीय एम.एस.जे. महाविद्यालय, भरतपुर |
| 5 | कमला कैल्ला | समाजशास्त्र | राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा |
| 6 | अमिता वर्मा | राजनीति शास्त्र | राजकीय महाविद्यालय, कालाड़ेरा |
| 7 | मालती शर्मा | अंग्रेजी | राजकीय महाविद्यालय, सीकर |
| 8 | रेणु शर्मा | भूगोल | राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा |
| 9 | इन्द्रा अग्रवाल | वनस्पति शास्त्र | राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा |
| 10 | निर्मला जैन | वनस्पति शास्त्र | राजकीय महाविद्यालय, कालाड़ेरा |

उपरोक्त मनोनीत व्याख्याताओं को आमन्त्रण पत्र आप अपने स्तर पर भेजें तथा उक्त कोर्स में उपस्थित एवं अनुपस्थित होने वाले व्याख्याताओं की सूची निदेशालय को भिजवायें। जिससे कि अनुपस्थित रहने वाले व्याख्याताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को यात्रा एवं दैनिक भत्ता आपके द्वारा देय होगा।

नोट: इन व्याख्याताओं का कोर्स में मनोनयन इनके द्वारा दी गई सहमति कि ग्रीष्मावकाश में कोर्स के लिए कोई उपार्जित अवकाश प्राप्त नहीं करेंगे एवं इस बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित है तो उसके अन्तिम निर्णय के अधधीन किया जाता है।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्राचार्य कृपया निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-
 - (अ) मनोनीत व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए दिनांक 10.06.2013 को प्रातः 9.00 बजे निदेशक, अकादमी स्टाफ कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
 - (ब) व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान के लिए वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् दो रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य है।
 - (स) सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके महाविद्यालयों से रिफ्रेशर कोर्स के लिए मनोनीत किये गये व्याख्याताओं में से जिनको कोर्स में भाग लेने की आवश्यकता है, उन्हें आवश्यक रूप से इस कोर्स में भाग लेने के लिए पाबन्द करें एवं यदि उक्त विषय में एक ही व्याख्याता उपलब्ध है तो विभाग द्वारा जारी आदेश में नाम होने पर भी उसे कोर्स हेतु कार्यमुक्त नहीं करें, अन्यथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्राचार्य की होगी। साथ ही ओरियन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने वाले व्याख्याताओं को छात्रहित को देखते हुए अतिरिक्त कक्षाएँ लेकर कोर्स पूर्ण कराने एवं अपने स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित करें।
2. संबंधित व्याख्याता - यदि आपके द्वारा उक्त कोर्स में भाग नहीं लिया गया है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं मार्च 2014 तक आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित व्याख्याताओं के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित करें कि उपरोक्त व्याख्याताओं का मनोनयन किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय से आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर उक्त कोर्स के लिए कार्यमुक्त किया जावे।
5. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर